[This question paper contains 12 printed pages.]

6339 *Your Roll No.* .....

LL.B.

AS

I Term

Paper LB-104 – CRIMINAL LAW – I (NC)

(Specific Crimes)

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note :– Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :– इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Answer any **Five** *questions including Question No.* **1** *which is compulsory.*
All *questions carry equal marks.*

अनिवार्य प्रश्न क्रमांक **1** *सहित कुल* **पाँच** *प्रश्न हल कीजिये।*
सभी *प्रश्नों के अंक समान हैं।*

1. Answer briefly any **four** of the following :

(a) "Grevious hurt is hurt of a more serious kind." Comment.

P.T.O.

(b) Compare Sec. 304 B with Sec. 498 A IPC.

(c) What are the points of distinction between kidnapping and Abduction ?

(d) Justify 'sudden fight' as a partial defence under Sec. 300 IPC.

(e) Illustrate distinction between theft and Criminal Misappropriation under IPC.

निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर संक्षेप में लिखिए :

(क) "घोर उपहति अधिक गंभीर प्रकार की उपहति होती है ।" टिप्पणी लिखिए ।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B की तुलना धारा 498 A से कीजिए ।

(ग) व्यपहरण और अपहरण के बीच विभेद के क्या-क्या बिन्दू हैं ।

(घ) भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अन्तर्गत भागिक प्रतिरक्षा के रूप में "अचानक लड़ाई" को न्यायोचित ठहराइए ।

(ङ) भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत चोरी और आपराधिक दुर्विनियोजन के बीच भेद के दृष्टान्त दीजिए ।

2. (a) A assaulted his wife by kicking her repeatedly on non-vital parts of her body. She fell down and became unconscious. In order to create an appearance that the woman had committed suicide,

he took up the unconscious body and thinking it to be a dead body, hung it by a rope. The post-mortem examination showed that death was due to hanging.

With the help of decided cases determine the culpability of A.

(b) Under Sec. 300(3), it is not necessary that the offender intended to cause death, so long as the death ensues from the intentional body injury or injuries sufficient to cause death in the ordinary course of nature.

Explain this law with the help of decided cases.

(क) A ने अपनी पत्नी के शरीर के उन हिस्सों पर, जो महत्वपूर्ण नहीं थे, बार-बार लात मार कर प्रहार किया। वह नीचे गिर पड़ी तथा अचेत हो गई। यह आभास कराने के लिए कि पत्नी ने आत्म हत्या की है, A ने उसकी अचेत देह को उठा लिया तथा उसे शव मानते हुए उसे रस्सी से लटका दिया। शव परीक्षण ने दर्शाया कि मृत्यु फांसी के कारण हुई है।

विनिश्चित केसों की सहायता से A की आपराधिकता अवधारित कीजिए।

(ख) धारा 300(3) के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा मृत्यु कारित करने का था बशर्ते मृत्यु उन इरादतन शारीरिक

क्षति या क्षतियों से हुई है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हों।

विनिश्चित केसों की सहायता से इस विधि को स्पष्ट कीजिए।

3. (a) H, the husband killed his wife one night in the kitchen of his house. He was on terms of immoral intimacy with one Mrs. X. The husband had entertained suspicious of his wife's conduct with his cousin. On the fateful night husband and wife quarrelled which culminated in the saying by the wife, "Well, if it will ease your mind, I have been untrue to you" and she went on "I know I have done wrong, but I have no proof that you haven't at Mrs. X". Upon hearing this, the husband lost his temper, picked up the hammer-head and struck on her head. She lost her life immediately.

On his prosecution for murder, H pleads, grave and sudden provocation. Will he succeed?

(b) A, a driver of a double decker bus was driving the bus. A pedestrian suddenly crosses a road without taking note of the approaching bus. The pedestrian got dashed against the bus without the driver becoming aware of it. Although the driver was driving the bus very slowly, but he could't apply the brakes so quickly as to save the pedestrian.

The driver was prosecuted and punished under Sec. 304-A IPC for negligent driving. Has he been rightly prosecuted ?

(क) पति H ने एक रात अपने घर की रसोई में अपनी पत्नी को मार डाला। उसके किसी Mrs. X के साथ अनैतिक अन्तरंगता के सम्बन्ध थे। पति को अपनी पत्नी के उसके चचेरे भाई के साथ सम्बन्ध होने का सन्देह रहने लगा था। उस घटनापूर्ण रात को पति तथा पत्नी में झगड़ा हुआ। पत्नी के यह कहने पर झगड़ा चरम बिन्दु पर पहुंच गया, "यदि इसी से तुम्हारे मन को चैन मिलता है, तो मैं आपके प्रति विश्वासघाती रही हूं।" पत्नी ने आगे कहा, "मैं जानती हूं कि मैंने गलती की है किन्तु मेरे पास इसका भी कोई सबूत नहीं है कि आपके Mrs. X के साथ सम्बन्ध नहीं हैं।" ऐसा सुनकर पति आपे से बाहर हो गया, उसने हैमरहैड उठा लिया और पत्नी के सर पर दे मारा। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

हत्या के लिए उस पर अभियोजन चलाए जाने पर उसने गंभीर और अचानक प्रकोपन का अभिवाक् किया। क्या वह सफल होगा ?

(ख) डबल डैकर बस का ड्राइवर A बस चला रहा था। एक पैदल व्यक्ति ने पास आ रही बस का ध्यान किए बिना अचानक सड़क पार की। पैदल व्यक्ति ड्राइवर की जानकारी के बिना बस से टकरा गया। यद्यपि ड्राइवर बहुत धीमे गाड़ी चला रहा था किन्तु वह इतनी

जल्दी ब्रेक नहीं लगा सका जिससे पैदल व्यक्ति की जान बच जाती।

ड्राइवर को उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304-A के अन्तर्गत अभियोजित तथा दंडित किया गया। क्या उस पर उचित रूप में अभियोग चलाया गया है ?

4. (a) A knows that B is suffering from jaundice and inflammation of the brain and that a blow on the head is likely to cause death. A gives B such a blow, from the effect of which B dies.

Argue for the prosecution of A for the offence of murder.

(b) X without any excuse fires a loaded cannon into a crowd of persons and kills one of them. Is X guilty of murder, although he may not have had a premeditated design to kill any particular individual ?

(क) A जानता है कि B को पीलिया तथा मस्तिष्कशोथ का रोग है और यह कि उसके सिर पर प्रहार से उसकी मृत्यु हो सकती है। A, B पर उसी तरह का प्रहार कर देता है जिसके परिणामस्वरूप B की मृत्यु हो जाती है।

हत्या के अपराध के वास्ते A के अभियोजन के लिए दलील दीजिए।

(ख) X किसी बहाने के बिना अपनी भरी हुई कैनन से आदमियों की भीड़ पर फायर कर देता है तथा उनमें से एक व्यक्ति को मार डालता है। क्या X हत्या का दोषी है यद्यपि किसी व्यक्तिविशेष को मारने का उसका कोई पूर्वनियोजित मंसूबा नहीं था ?

5. Sheenu, a girl of sixteen years, left her parental home because of the ill-treatment of her step-mother. On way she met a friend Ankit from her school, to whom she narrated her story of sufferings. He persuaded her to return to her parents with the promise that he will contact her after he gets a job. Sheenu leaves her phone number and residential address with him. On his persuation Sheenu went back to her home.

After a month or so, she called Ankit and was happy to knows that he had got a job. Both of them decided to meet and at a meeting Ankit promised to marry her. Finally she of her own decided to walk out of the house and directly proceeded to Ankit's house and started living with him. They eventually decided to marry, but before marriage could happen, Ankit was arrested on the complaint filed by the parents of Sheenu for the offence of kidnapping under Sec. 361 IPC. Can he be punished under Sec. 363 IPC ?

एक 16 वर्षीय लड़की शीनू ने अपनी सौतेली माता के दुर्व्यवहार के कारण अपना पैतृक घर छोड़ दिया। रास्ते में उसकी उसके स्कूल के मित्र अंकित से मुलाकात हुई जिसको उसने अपनी दुखभरी गाथा

सुनाई। उसने शीनू को उसके माता-पिता के पास यह कहकर राजी कर लिया कि उसकी नौकरी लगने के बाद वह उससे सम्पर्क करेगा। शीनू उसको अपना फोन नम्बर तथा आवासीय पता देकर उसके समझाने पर अपने घर लौट गई।

लगभग एक मास बाद उसने अंकित से बात की तथा यह जानकर खुश हुई कि उसको काम मिल गया है। उन दोनों ने मिलने का विनिश्चय किया तथा इस मुलाकात में अंकित ने उससे विवाह करने का वायदा किया। अन्ततः उसने स्वयं अपना घर छोड़ने का विनिश्चय किया तथा वह सीधे अंकित के घर चली गई तथा उसके साथ रहना शुरू कर दिया। अन्ततः उन्होंने विवाह करने का विनिश्चय किया किन्तु विवाह के होने से पहले ही अंकित को शीनू के माता-पिता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अन्तर्गत व्यपहरण के अपराध हेतु गिरफ्तार कर लिया गया। क्या उसको भा०दं०सं० की धारा 363 के अन्तर्गत दंडित किया जा सकता है ?

6. The prosecutrix was an educated woman and employed. She went in the jeep of the accused at night for a long distance intending to meet her senior officer. She alleged that she was raped by the accused in his house when they halted there. There was no explanation of any compelling reasons for meeting the officer at night. She asserted virginity but medical evidence showed that she was habituated to sex.

Argue for the defence as well as for the prosecution of the accused under Sec. 375 IPC.

अभियोजिका एक शिक्षित तथा बारोज़गार महिला थी। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी से मिलने के इरादे से रात को लम्बी दूरी पर अभियुक्त की जीप में गई। उसने आरोप लगाया कि अभियुक्त ने उसके साथ अपने घर में तब बलात्संग किया जब उन्होंने वहां हाल्टा किया था। रात को अधिकारी से मिलने के मजबूरी भरे कारणों का खुलासा भी नहीं किया गया था। उसने अपने कौमार्य पर बल दिया किन्तु चिकित्सकीय सबूत ने दर्शाया कि वह सेक्स की आदी थी।

बचाव के पक्ष के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत अभियुक्त के अभियोजन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।

7. (a) The bag of an ex-student of Ramjas college was removed from him by another student on a college day and handed over to the Principal of the college. The Principal and Vice-Principal suspecting that it contained objectionable leaflets of the kind hurled in the college Hall on the college day, informed the complainant's father that the bag was in college office and the Principal would like to see him to discuss matters. The Principal refused to hand-over the bag to the complainant but later handed it over to the police. On a complaint by the ex-student, a charge of theft of a bag was made against the Principal, Vice-Principal and another student.

Can offence of theft be proved against them ?

(b) How will you explain that "delivery by the person put in fear" is essential in order to constitute the offence of extortion ?

(क) रामजस कालिज के कालिज डे पर एक पूर्व-छात्र के थैले को कालिज के एक अन्य छात्र ने उठाकर कालिज के प्रिंसीपल को सौंप दिया। प्रिंसीपल तथा वाइस प्रिंसीपल ने यह सन्देह करते हुए कि थैले में उसी तरह के इश्तिहार हैं जैसे कालिज डे पर कालिज हॉल में उछाले गए थे, शिकायकर्ता के पिता को सूचित किया कि थैला कालिज कार्यालय में है तथा प्रिंसीपल इस मामले पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। प्रिंसीपल ने थैला शिकायतकर्ता को देने से मना कर दिया पर बाद में इसे पुलिस को सौंप दिया। पूर्व-छात्र की शिकायत पर प्रिंसीपल, वाइस प्रिंसीपल तथा उस अन्य छात्र पर थैले की चोरी का आरोप लगाया गया।

क्या उनके विरूद्ध चोरी का अपराध साबित हो सकता है ?

(ख) आप किस प्रकार खुलासा करोगे कि उद्दापन का अपराध बनने के लिए "भयाक्रान्त व्यक्ति द्वारा डिलीवरी" आवश्यक होती है ?

8. (a) A finds a purse on the main road. On opening he found cash amount of Rs. 20,000 and few addresses inside it. Thereafter, he telephoned and by post contacted all the addresses, but could't locate the real owner. A also put notices and advertisements in the local newspapers. However,

even after six months when no one came forward to claim the purse, A used the money partly for paying the expenses incurred in advertising and contacting persons and rest of the money for meeting his daily needs.

Can A be prosecuted for any offence ?

(b) "Criminal breach of trust and cheating are too distinct offences generally involving dishonest intention but mutually exclusive and different in basic concept." Explain with the help of decided cases.

(क) A को मुख्य सड़क पर एक पर्स मिलता है । पर्स खोले जाने पर उसको उसके अन्दर 20,000 रुपए की नक़द राशि तथा कुछ पते मिले । इसके पश्चात उसने सभी पतों पर टेलीफोन तथा डाक द्वारा सम्पर्क किया किन्तु उसके वास्तविक मालिक का पता नहीं लगा पाया । A ने स्थानीय समाचार-पत्रों में नोटिस तथा विज्ञापन भी दिए । मगर छह महीने बीतने पर भी जब कोई पर्स मांगने के लिए सामने नहीं आया तब A ने उक्त धन के कुछ अंश को विज्ञापन पर व्यय करने पर तथा लोगों से सम्पर्क करने में और शेष बची राशि को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च कर लिया ।

क्या A को किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जा सकता है ?

(ख) "आपराधिक न्यास भंग तथा छल दो भिन्न अपराध होते हैं जिनमें सामान्यतः बेईमानीभरा इरादा शामिल होता है किन्तु वे परस्पर अपवर्जी तथा आधारभूत संकल्पना में भिन्न होते हैं।" विनिश्चित केसों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।